तृतीय अध्याय

वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2017–18 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

3.1.1. वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभाग अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहितों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रायोजन के लिए हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 2,413.40 करोड़ की कुल लागत 317 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमें विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरूद्ध 31 जनवरी 2019 तक ₹ 628.48 करोड़ के 100 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 31 जनवरी 2019 की स्थिति **तालिका 3.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों* की स्थिति

(₹करोड़ में)

निर्गत अनुदान	लंबित उ.प्र.प.	लंबित उ.प्र.प. जनवरी 2019		
		विंलब	संख्या	राशि
2014–15 तक	सितम्बर 2015	तीन वर्षों से अधिक	62	89.77
2015–16	सितम्बर 2016	दो वर्षों से अधिक	07	1.82
2016–17	सितम्बर 2017	एक वर्ष से अधिक	05	18.03
2017–18 के दौरान	सितम्बर 2018	04 माह	26	518.86
योग			**100**	**628.48**

(स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

**वैसे अनुदान जिसकी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है कि उ.प्र. पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्रेषित की जानी चाहिए।*

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति **परिशिष्ट 3.1** में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, नगरीय प्रशासन (₹ 547.89 करोड़ 42 उ.प्र.प.) एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 80.59 करोड़, 56 उ.प्र.प.) से संबंधित है।

सहायता अनुदान के विरूद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को एक समय–सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अंदर उ.प्र.प. जमा नहीं करते है, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।*

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.ग.को.स.), नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पहले उसके द्वारा लिए गए सभी आकस्मिक प्रभार के लिए विस्तृत आकस्मिक देयक संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मासिक डीसी बिल को आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अगले महीने के पाँच तारीख के भीतर नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए। नियंत्रक अधिकारी आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ पारित विस्तृत आकस्मिक देयकों को महालेखाकार के पास जमा करना आवश्यक है, ताकि ये महालेखाकार के कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख से पहले प्राप्त हो सकें। विस्तृत आकस्मिक देयकों के व्ययों को बिना सहायक दस्तावेजो के प्रस्तुत करना संक्षिप्त आकस्मिक देयक के व्ययों की अपारदर्शिता दर्शाता है। निकाले गए संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने का विवरण निम्न **तालिका 3.2** में दिखाया गया है

तालिका– 3.2 आकस्मिक देयकों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के जमा करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयको का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015–16	20	79.37	1,418	5,491.72	1,135	4,925.23	303	645.86
2016–17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19
2017–18	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95

(स्रोतः वित्त लेखे 2017–18 और कार्यालय म.ले. (ले. एवं ह.) द्वारा संकलित जानकारी)

31 मार्च 2018 की स्थिति में, ₹ 132.95 करोड़ के 160 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित है। 2017–18 तक विभागवार लंबित मे मुख्यतया सहकारिता विभाग (₹ 114.00 करोड़), औद्योगिक विभाग (₹ 15.39 करोड़) तथा ग्रामीण औद्योगिक विभाग (₹ 2.73 करोड़) है।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण (वीएलसी) के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन की जांच में पाया गया है कि 2017–18 में 1,387 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरूद्ध ₹ 3,846.56 करोड़ में से ₹ 575.73 करोड़ (14.97 प्रतिशत) केवल मार्च माह मे अहरित किए गए थे। मार्च में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट समाप्त करने के लिए था और संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर इस तरह के आहरण का वास्तविक खर्च दूरस्थ था।

जबकि, 31 जनवरी 2019 को, कुल लंबित 47 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 115.15 करोड़ का विवरण **परिशिष्ट 3.2** में दिया गया है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हो।*

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किया है, जिसमें से केवल तीन स्वायत निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2018 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014–15 से आगे	2014–15 से 2016–17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	06 माह (2017–18)
02	छत्तीसगढ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 से आगे	2012–13 से 2014–15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन का जारी किया गया।	30 (2015–16) 18 (2016–17) 06 (2017–18)
03	छत्तीसगढ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007–08 से 2011–12	2007–08 से 2011–12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया। लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011–12 के बाद अप्रस्तुत

अनुशंसाः *प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।*

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन

भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2018 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण **तालिका 3.4** दर्शाया गया है:–

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तातरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	23	3	26
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	13	1	14
3	बकाया लेखे की संख्या	19	1	20
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	3	निरंक	3
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	9	निरंक	9
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1	1 से 4

(स्रोतः– कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, चार वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कंम्पनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

यह भी विशेष रूप से अवलोकनार्थ है कि इन सा.क्षे. उपक्रमों को वित्तीय समर्थन की मांग की वास्तविकता के लिए लेखें के अभाव में भी वित्त विभाग इक्विटी, ऋण, सहायक अनुदान/सब्सिडी, प्रतिभूतियों के रूप में वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदाय किया है।

राज्य सरकार वर्ष 2017–18 तक दस कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 9,463.02 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रत्याभूतिः ₹ 2,920,30 करोड़ (*तीन* सा.क्षे.उ.), अनुदानः ₹ 1,697.08 करोड़ (*छः* सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदानः ₹ 4,845.64 करोड़ (आठ सा.क्षे.उ.) प्रदान किया गया, जिसका विविरण परिशिष्ट 3.3 में प्रदर्शित है। अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है।

अनुशंसाः *वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरूद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।*

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होनाः–

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को शासकीय द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 6,636.17 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 104.04 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 0.81 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

अनुशंसाः *राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।*

3.5 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पूलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1972 लंबित मामलों में से, मार्च 2018 के अंत तक निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.29 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग–वार तथा श्रेणी–वार विभाजन **परिशिष्ट– 3.4** में दिया गया है। मामलों का वर्ष–वार विश्लेषण **परिशिष्ट–3.5** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु–प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि की **तालिका 3.5** में दी गई है।

तालिका 3.5 हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि				लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि		प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	309	4,953.20				
5 – 10	403	5,110.31		चोरी	136	54.67
10 – 15	295	765.82		सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,765	11,932.93
15 – 20	213	1,038.66				
20 – 25	241	301.13		गबन	71	541.86
25 से अधिक	511	360.34		**लंबित प्रकरणों का योग**	**1,972**	**12,529.46**
योग	**1,972**	**12,529.46**				

(स्रोतः राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

कुल 1,972 प्रकरण में से वन विभाग 393 प्रकरण तथा शिक्षा विभाग में 36 प्रकरण 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 1,972 प्रकरण में से 390 प्रकरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई. आर.) दर्ज हुए है।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 47 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2017–18 के दौरान 12.89 लाख वसूली किया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–3.6** में है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा एसे प्रकरणों के पुर्नावृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।*

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम–543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा खातों को जिसमें निधि संचित निधि को आकलित कर विशेष उद्देश्य हेतु खोले जाने के लिए अधिकृत है। व्यक्तिगत जमा खाते प्रशासकों के नाम से मुख्य शीर्ष 8443– सिविल जमा –106– व्यक्तिगत जमा के अधीन लेखे रखे जाते है। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामलें में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए। व्यक्तिगत जमा खातों की कोषालय लेखे के साथ समय–समय पर मिलान करने हेतु संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है।

वर्ष 2015–18 के दौरान राज्य में संचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाये गये है।

तलिका 3.6 व्यक्तिगत जमा खातों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक की प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान प्राप्तियां/योग		वर्ष के दौरान बंद लेखे/अदायगी		31 मार्च तक की अंत शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015–16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016–17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017–18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00

(स्रोतः– संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

तलिका 3.6 से दर्शित होता है कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 के दौरान कुल 15 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये तथा 64 खातों को बंद किया गया। आगे, 31 मार्च 2018 की स्थिति में 263 व्यक्तिगत जमा खाते संचालन में थे जिसका अंतःशेष की राशि ₹ 1757.00 करोड़ रहा।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू–अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1757.00 करोड़ में से भू–अर्जन की राशि ₹ 1459.13 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ा रहा। भू–अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय वार विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्य निदेशक, पेंशन एवं कोषालय लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर के ध्यान में लाया गया जबकि उत्तर अब तक अपेक्षित है।

3.6.2 लेखाओं का पूर्नमेलन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग–1 के सहायक नियम 584 से 590 के निर्देशानुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित जमा खाते के प्रशासक से यह प्रमाण–पत्र लिया जाए कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष एवं मार्च माह के धन ऋण पत्रक के अनुसार अंतिम शेष बराबर है। व्यक्तिगत जमा खातों का अंतिम शेष की राशि का पूर्नमिलान नहीं किया गया जिसका विवरण **तालिका 3.7** में दिया गया है।

तालिका 3.7 व्यक्तिगत जमा खाते के अतःशेष में असमायोजित राशि

(₹ लाख में)

क. सं.	कार्यालय का नाम	धन ऋण ज्ञापन के अनुसार राशि	प्रशासक के अनुसार राशि	अंतर
01	संभागीय वन अधिकारी, रायगढ़	1,491.76	1,612.00	1,20.24
02	संभागीय वन अधिकारी, धरमजयगढ़	486.62	484.49	2.13
03	कलेक्टर, रायपुर	25,997.34	27,312.32	1,314.98
04	संभागीय वन अधिकारी, मारवाही	246.18	246.74	0.56
05	डीपीडब्ल्यूओ, आंनद निकेतन, बिलासपुर	0	0.33	0.33
06	श्रम कार्यालय, बिलासपुर	11.64	12.04	0.40
योग				**14,38.64**

(स्रोतः संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना)

तीन कोषालय[1] कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 14.39 करोड़ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रेषित किया गया जिसका धन ऋण पत्रक के साथ मिलान नहीं किया गया एवं विभिन्न विभागों से वार्षिक प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए गये।

इंगित किये जाने पर, संबंधित कोषालय अधिकारियों नें तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया की शीघ्र ही पूर्नमेलित धन–ऋण पत्रक को सत्यापित कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

3.6.3 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाता वित्त विभाग की सहमति से संधारण किया जा सकता है। मौजूदा नियमानुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

कोषालय के अभिलेखों का नमूना जाँच में यह पाया गया कि दस व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि ₹ 1.37 करोड़ था जो कि तीन वर्ष से अधिक असंचालित रहे तथा असंचालित लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

[1] रायगढ़, रायपुर तथा बिलासपुर कोषालय

इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने स्वीकार किया तथा बताया कि अंसचालित व्यक्तिगत जमा खाते के संबंध में संबंधित विभागों से संवाद कर इस पर कार्यवाही की जावेगी।

आगे, राज्य सरकार ने विभिन्न मुख्य शीर्षो के अधीन राशि ₹ 1.98 करोड़ का आहरण किया तथा इसे व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया। इसका विवरण **परिशिष्ट 3.8** में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया है।

3.6.4 राशि ₹ 135.67 करोड़ का अवर्गीकरण

मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार, शिक्षा हेतु जमा मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा–123– शिक्षा और वन जमा मुख्य शीर्ष–8443 सिविल जमा–109– वन जमा में दर्ज किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से प्राप्त चालानों की जाँच में पाया गया कि शिक्षा एवं वन जमा क्रमशः ₹ 1.47 करोड़ एवं ₹ 134.20 करोड़ को लघु शीर्ष 123–शिक्षा एवं 109–वन जमा के स्थान पर मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा 106–व्यक्तिगत जमा खता के अंतर्गत दर्ज किया गया।

तीन कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि रायपुर (₹ 0.24 करोड़) बिलासपुर (₹ 5.02 करोड़) और रायगढ़ (₹ 19.78 करोड़) को लघु शीर्ष 123–शिक्षा एवं 109–वन जमा को क्रमशः मुख्य शीर्ष 8443–सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा में दर्ज किया गया। आगे यह भी अवलोकन किया गया कि वनमण्डल अधिकारी, बिलासपुर ने राशि ₹ 2.50 करोड़ को शीर्ष 8443–109 में जमा किया जबकि इसे वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा 8443–106 में दर्ज किया गया।

इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारी, रायपुर एवं रायगढ़ ने स्वीकार किया तथा बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाएगा।

जबकि वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बिलासपुर ने बताया कि सॉफटवेयर में मुख्य शीर्ष 8443–109 में दर्ज करने हेतु प्रावधान न होने के कारण इसे व्यक्तिगत जमा खाते में दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार योग्य नही हैं, क्योंकि ई–कोष सॉफटवेयर सभी कोषालयों में प्रयोग किया जाता है तथा अन्य कोषालयों में वन जमा शीर्ष 8443–109 में हो रही है।

अनुशंसा: *वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।*

3.7 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है।

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)–2 अनुदान और सहायता अनुदान के वर्गीकरण के बारे में निर्धारित करता है कि अनुदान द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान को वर्गीकृत किया

जाएगा और चाहे जो भी हो, अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरण में राजस्व व्यय के रूप में हिसाब लगाया जाएगा। वह उद्देश्य जिसके लिए निधियों का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजी शीर्ष के खाते में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–1 के खंड 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूंजी शीर्ष या राजस्व शीर्ष किस तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत की जाने वाला व्यय को मोटे तौर पर स्थायी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाने और स्थायी चरित्र की बढ़ती हुई वस्तु के साथ किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर खर्च या स्थानीय निकाय या संस्थाओं को अनुदान पर खर्च संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और विशेषरूप से प्राधिकृत, उन मामलों को छोड़कर, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पूंजीगत शीर्ष डाला गया हो।

वर्ष 2017–18 में छत्तीसगढ़ शासन ने त्रुटिपूर्ण बजट तैयार किया और ₹ 2,359.39 करोड़ का अनुदान राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजी शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया। इसके अलावा ₹ 2.50 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, ₹ 0.47 करोड़ का रखरखाव कार्य और ₹ 0.18 करोड़ का कार्यालय व्यय राजस्व मुख्य शीर्ष के बजाय पूँजीगत मुख्य शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है। विवरण **परिशिष्ट 3.9** में दिया गया है।

3.8 लघु शीर्ष–800 में समायोजन

लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष–800 को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खाता को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं के कार्यक्रमों आदि को खुलासा नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

वित्त लेखा 2017–18 की जांच में पाया गया है कि संबंधित 46 मुख्य शीर्षो के तहत दर्ज कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 59,647.07 करोड़) का 4.23 प्रतिशत अर्थात ₹ 2,522.98 करोड़ को लघु शीर्ष–800 अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया था। 18 मुख्य शीर्षो के अंतर्गत खातों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹ 6,456.38 करोड़ में से ₹ 1,353.07 करोड़ (20.96 प्रतिशत) शीर्ष 800– अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 11 से 103 प्रतिशत थी। विवरण **परिशिष्ट 3.10** में दिया गया है। इसी प्रकार कुल व्यय ₹ 69,712.30 करोड़ में से ₹ 1,579.97 करोड़ (कुल व्यय का 2.29 प्रतिशत) को 46 मुख्य शीर्षों के अुंतर्गत लघु शीर्ष–800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया।

हमने यह भी देखा कि 15 मुख्य शीर्षों के खातों (राजस्व और पूंजी) के तहत ₹ 1,498.48 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹ 3,636.39 करोड़ का 39 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800–अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि **परिशिष्ट–3.11** में दिखाया गया है।

अनुशंसाः वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष–800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में संबंधित लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

3.9 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित हैः

3.9.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहरित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खातों में नहीं जमा की जाएगी और आहरित धन की तत्काल आवश्यकता न होने पर धनराशि सरकार के खाते में अभ्यर्पित की जानी चाहिए।

तीन आहरण एवं संवतरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 1994–18 के विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 67.23 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहारित कर बैंक खातों में रखी गई जाकि **तालिका 3.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8 सरकारी खाते के बाहर निधियाँ

(₹ लाख में)

कं. स.	विभाग का नाम	राशि संबंधित है	वर्ष	राशि
01	जिला शिक्षा आधिकारी, बेमेतरा	परीक्षा शुल्क	1994 से 2017	19.83
02	सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, रायगढ़	निर्माण कार्य, छात्रावास अधीक्षक पुरस्कार और एमओयूडीए पॉकेट योजना	2017–18	14.08
03	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, कोयलीबेड़ा, कांकेर	समाज कल्याण और बाल विकास	2014–18	33.32
योग				**67.23**

(स्रोतः संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खातें में जमा किया गया। शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

अनुशंसाः *शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा कोषालय संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विभागों को निर्देशित करना चाहिए।*

3.9.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों के समायोजन तीन माह के अंदर वर्गीकृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय

वर्ष के दौरान समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 22.66 करोड़ अग्रिम के 1,922 मामलें समायोजन के लिए लंबित थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण **तालिका 3.9** में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागवार और वर्षवार विवरण **परिशिष्ट 3.12** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

क्रं.स.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	2006–07 तक	1,116	6.16
2	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2007–08 से 2011–12	114	2.38
3	1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2012–13 से 2016–17	667	11.68
4	1 वर्ष तक	2017–18	25	2.44
योग			**1,922**	**22.66**

(स्रोतः संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

अग्रिम राशि ₹ 22.66 करोड़ अग्रिमों के समायोजन में विभागीय अधिकारियों द्वारा संहिता के प्रावधानों के लागू करने में शिथिलता दिखाई दी है।

अनुशंसाः *अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।*

3.9.3 रोकड़ बही के रखरखाव से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करना

रोकड़ बही का समुचित संधारण वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण अवयव है और इसका अभाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में गंभीर खामी इंगित करता है। ऐसा स्थिति गबन, धोखाधड़ी, आदि समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है।

वर्ष 2017–18 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमिततायें पाई गई हैः

- लेनदेन रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई (06 प्रकरण, ₹ 485.82 लाख)
- रोकड़ बही के बंद एवं खोलने मे विसंगतियाँ (01 प्रकरण, ₹ 1.00 लाख)
- रोकड़ बही की प्रविष्टियों का गैर–सत्यापन और गैर–प्रमाणीकरण (22 प्रकरण)
- रोकड़ बही के साथ बैंक पास बुक का मिलान नही। (पांच प्रकरण, ₹ 374.38 लाख)
- 10,000 से अधिक की राशि का नकद भुगतान (21 प्रकरण)
- अनुदान प्राप्त हुआ लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिया गया (एक प्रकरण, ₹ 1.46 लाख)
- रोकड़ बही में वसूली प्रविष्ट नहीं किया गया (तीन प्रकरण, ₹ 1.31 लाख)
- गणना में अंतर (एक प्रकरण, ₹ 35.00 लाख)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाएगा तथा रोकड़ बही संधारण हेतु मौजूदा नियम का अनुसरण किया जाएगा।

उपरोक्त कुल राशि ₹ 8.99 करोड़ का विवरण **परिशिष्ट–3.13** में दिखाया गया है। उपरोक्त अनियमितताओं ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विभाग ने नकदी से निपटने में कोषालय नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। रोकड़ बही रखरखाव के साथ–साथ पर्यवेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण का आभाव था।

इस प्रकार, रोकड़ बही के रखरखाव में संहिता के प्रावधानों का पालन न होने के कारण लेखापरीक्षा शासकीय धन ₹ 8.99 करोड़, के दुरूपयोग को खारिज नहीं कर सकता है।

अनुशंसा: *रोकड़ बही में अनियमितता निधियों का दुर्विनियोजन तथा गबन के जोखिमों को बढ़ावा देता है। सरकार दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करें।*

3.10 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष–8443 सिविल जमा – 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप–शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

3.10.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि 2015–16 से 2017–18 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण **तालिका 3.10** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

स.क.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
			नमांकन शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	बोर्ड के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	ज्मा पर ब्याज			
1	2015–16	247.48	0.07	127.34	20.85	395.74	121.95	273.79
2	2016–17	273.79	0.15	172.71	19.76	466.41	183.92	282.49
3	2017–18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

राज्य सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों को पेंशन, मातृत्व लाभ, घरों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता, छात्रों के लिए खेल में प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, शिक्षा/विवाह/कौशल विकास

के लिए वित्तीय सहायता, एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण जैसी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का संचालन किया गया है। 2017–18 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण **तालिका 3.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11 उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	संचालित योजना		योजना पर वास्तविक व्यय करोड़ में	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन करोड़ मे				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरूद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरूद्ध व्यय
2015–16	395.74	45	146.28	120.11	5,95,991	2,49,566	41.87	83.10	30.35
2016–17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017–18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.15

(स्रोतः छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मण्डल उपलब्ध धन का केवल 42 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 2017–18 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 34 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभावित्त किया गया। इस प्रकार, ₹ 279.69 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये। छत्तीसगढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से वर्ष 2017–18 के दौरान 42 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ जो कि मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (7 प्रतिशत) और बिहार (5 प्रतिशत) से अधिक रहा। यह भी कि 34 प्रतिशत श्रमिकों को लांभान्वित किया गया जो मध्यप्रदेश (19 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (8 प्रतिशत) और बिहार (11 प्रतिशत) से अधिक है।

अनुशंसाः *राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।*

3.11 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवंम्बर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 118.28 करोड़, पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 5,750.38 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत 1,297.35 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसाः *दोनो अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूँजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।*

3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

2008–09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।

3.13 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 2,429.00 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 66.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि **तालिका 3.12** में दिया गया है:

तालिका 3.12 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि का राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना	2,359.39	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय को पूँजीगत शीर्ष में दर्ज किया गया	0.18	0.00	0.00	0.00
पेशेवर सेवा व्यय राजस्व के बदले पूँजी अनुभाग के तहत दर्ज किया गया	2.50	0.00	0.00	0.00
रख–रखाव व्यय को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष दर्ज करना	0.47	0.00	0.00	0.00
ऋणशोधन निधि में कम अंशदान	17.15	0.00	0.00	17.15
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान का अहस्तांतरण	49.31	0.00	0.00	49.31
कुल (शुद्ध) प्रभाव	**2,429.00**	**0.00**	**0.00**	**66.46**

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 2,429.00 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 66.46 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 3,417.32 करोड़ तथा ₹ 6,810.32 करोड़ वर्णित है, वास्तव में क्रमशः ₹ 988.32 करोड़ तथा ₹ 6,876.78 करोड़ होगें।

(दिनेश आर. पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक